# THE CABINET MISSION PLAN(PART-2)

FOR:U.G.PART-3,PAPER-6

BY:ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE
ARA.

# कैबिनेट मिशन योजना

5. भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटेन के मध्य सत्ता के हस्तांतरण के फल स्वरुप उठने वाले मामलों के संबंध में एक संधि होगी। इस योजना में यह आशा व्यक्त की गई कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा तथा उसे पृथक होने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

6. ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्‌वारा निर्मित संविधान को कार्यान्वित करेगी ।

# कैबिनेट मिशन योजना

- 7. भारतीय रियासतों के विषय में मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने यह घोषणा की जिस दिन से यह नया संविधान लागू हो जाएगा उस दिन से अंग्रेजी सरकार अपनी सर्वश्रेष्ठता की शक्ति का प्रयोग करना बंद कर देगी ।उस अवस्था में वे सब अधिकार जो रियासतों ने सर्वश्रेष्ठ शक्ति को दे रखे हैं उन्हें उनके पास लौट जाएंगे अर्थात वह पूर्ण रुप से स्वतंत्र हो जाएंगे। वे सभी राजनीतिक प्रबंध जो ब्रिटिश क्रॉउन तथा भारतीय रियासतों के बीच है समाप्त हो जाएंगे।

# कैबिनेट मिशन योजना

इसके पश्चात रियासतें या तो केंद्र से संघीय संबंध स्थापित करें अथवा प्रांतों से अपने नए संबंध स्थापित करें।

8. जब तक नया संविधान नहीं बन जाता मिशन ने सभी राजनीतिक दलों की सहमति पर आधारित एक **अंतरिम सरकार** के गठन करने की सिफारिश की। इसमें उन सभी भारतीय नेताओं को शामिल किया जाएगा जिन्हें जनता का विश्वास हासिल हो। यह वायसराय की अध्यक्षता में कार्य करती ।

# कैबिनेट मिशन योजना के गुण

1. यह योजना कांग्रेस व मुस्लिम लीग की मांगों का समन्वय थी। कांग्रेस की मांग थी एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना हो तथा भारत का विभाजन नहीं हो। इस योजना में कांग्रेस की अखंड भारत की मांग मान ली गई ।

- मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए इस योजना में कहा गया कि सांप्रदायिक प्रश्नों के समझौते के लिए दोनों जातियों का पृथक बहुमत आवश्यक होगा। प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण होना था

# कैबिनेट मिशन योजना गुण

तथा प्रत्येक वर्ग को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार था अर्थात यह पाकिस्तान की मांग के बराबर था क्योंकि वर्ग (ब)तथा( स)में मुस्लिम जनता का बहुमत था तथा इनमें शासन भी मुस्लिम बहुमत के आधार पर होता।

2. इस योजना के अनुसार सांप्रदायिक रियायतें समाप्त कर दी गयी। अब केवल तीन निर्वाचिक समूह रह गए थे तथा यूरोपियन,ऐंग्लो इण्डियन, ईसाई आदि अनेक वर्गों कि रियायतें समाप्त कर दी गई।

# कैबिनेट मिशन योजना गुण

3. इस योजना में पाकिस्तान निर्माण का विचार पूर्णतः छोड़ दिया गया।

4 मिशन योजना के ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सभा को संविधान बनाने की पूरी छूट दी गई।

5. प्रस्तावित संविधान सभा में ब्रिटिश सरकार अथवा उसके यूरोपीय अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त सदस्य नहीं होने थे और प्रांतीय विधानसभाओं में भी विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के समय इन यूरोपीय सदस्यों को भाग नहीं लेना था।

# कैबिनेट मिशन योजना गुण

6. इसमें भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया था।

7. इस योजना के फल स्वरुप जो अंतरिम सरकार बननी थी उसे दिन- प्रतिदिन प्रशासन में पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई थी तथा सभी विभाग भारतीयों के  सौंपे जाने का निश्चय कर दिया गया था ।

# कैबिनेट मिशन के दोष

1. कांग्रेस ने इसकी आलोचना में कहा कि इसमें प्रस्तावित केंद्रीय शासन अत्यंत निर्बल शासन होगा |शासन सत्ता का इतना अधिक असंतुलित विकेंद्रीकरण देश में अराजकता तथा भयंकर आर्थिक अव्यवस्था पैदा कर देगा।
2. ग्रुप (ब) तथा ग्रुप( स) पर लीग को प्रभावी नियंत्रण देकर इस योजना ने पाकिस्तान की मांग को सार रूप में स्वीकार कर लिया। प्रांतों का ग्रुप में बांटा जाना अवैज्ञानिक तथा सांप्रदायिकता पर आधारित था।

# कैबिनेट मिशन योजना के दोष

3. मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो की गई थी परंतु पंजाब में सिखों के हितों की नहीं ।

4. संविधान बनाने की प्रक्रिया भी विचित्र सी थी। पहले ग्रुप और प्रांतों का संविधान बनना था फिर केंद्र का और एक तरह से यह गाड़ी घोड़े के आगे  जोतने जैसा था।

5. अस्थाई सरकार में लीग तथा कांग्रेस का समानुपात था। यह प्रस्ताव न तर्क युक्त था न उचित और न जनतंत्र वादी सिद्धांतों के अनुरूप ही।

# प्रतिक्रिया

- कांग्रेस तथा लीग दोनों के लिए इस प्रस्तावित योजना का पूर्णतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करना मुश्किल हो गया। कांग्रेस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी कि वह इन प्रस्तावों का स्वागत करती है। हालांकि उसे इसके कई प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति है। इसने संवैधानिक सभा के सार्वभौम चरित्र पर बल दिया, रियासतों से निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान न होने की आलोचना की।

# प्रतिक्रिया

उसने सब फेडरेशन के विचार को भी रद्द कर दिया तथा अंतरिम सरकार की शक्तियां एंव स्थिति की भी आलोचना की।

- मुस्लिम लीग निम्न बातों को लेकर नाराज थी-

1. मुस्लिम समुदाय को दो भागों( ब) तथा( स) में विभाजित कर दिया जाता है

2. योजना में केवल दो के बजाय केवल एक संवैधानिक सभा का प्रावधान किया गया है।

# प्रतिक्रिया

3. वैधानिक तथा कार्यकारी शक्तियों से लैस केवल एक ही भारतीय संघ की बात की गई है

4. संप्रदायिक मुद्दे से संबंधित निर्णय का अधिकार संवैधानिक सभा के अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है।

- हिंदू महासभा ने प्रांतों के तीन समूहों में विभाजन की आलोचना की।
- साम्यवादी दल ने संवैधानिक सभा पर लगाई गई सीमाओं की आलोचना की।

# प्रतिक्रिया

- सिखों ने पहले संवैधानिक सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने से मना कर दिया परंतु बाद में कांग्रेस के समझाने पर वे मान गए।

इसमें कोई संदेह नहीं की अन्य पूर्व प्रकाशित योजनाओं की अपेक्षा कैबिनेट मिशन योजना प्रगतिशील और महत्वपूर्ण थी तभी तो गांधी जी ने इस योजना के संदर्भ में लिखा है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती थी।